प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत
''भागीदारी में किफायती आवास'' हेतु डिमान्ड सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तगर्त आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 26/9/2017 के अनुपालन में सूड़ा/डूडा द्वारा चिन्हित ''भागीदारी में किफायती आवास'' घटक के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित दुर्बल आय वर्ग भवनों हेतु रू. 2.50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। सब्सिडी के अतिरिक्त उपरोक्त पात्र व्यक्तियों को प्रत्येक भवन हेतु रू. 2.00 लाख मात्र जमा कराना होगा। भवन के मूल्य पर नियमनुसार जी.एस.टी. भी चयनित पात्र व्यक्ति द्वारा देय होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदार में किफायती घटक के अन्तर्ग मण्डौला विहार योजना गाजियाबाद के सैक्टर-19 मे उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा 6000 नग (अनुमानित) जी+3 दुर्बल आय वर्ग भवनों/फ्लैटों का निमार्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

अतः सूड़ा/डूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफ़ायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत चिन्हित पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त स्थान पर भवन/फ्लैट लेने के इच्छुक है तथा लाभार्थी अंश रू. 2.00 लाख एवं जी.एस.टी. देने हेतु सहमत है तो परिषद कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निमार्ण खण्ड-38 उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद सैक्टर-8 दिल्ली सहारनपुर रोड, मण्डौला विहार गाजियाबाद से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर दिनांकः 21/9/2018 तक अपने सहमति पत्र निम्नलिखित अभिलेखों के साथ परिषद कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

1. डूडा/सुडा मे आवेदित / ऑनलाई प्रार्थना पत्र की स्व-सत्यापित छाया प्रति।
2. आधार कार्ड की स्व- सत्यापित छाया प्रति।
3. उक्त सूचना के साथ हस्ताक्षरित सहमति पत्र कलर फोटो सहित।

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद